राजस्थान –सरकार

–: आदेश :–

अज अदालत :– उपखंड अधिकारी बामनवास
इजलासः :– प्रिंयका कडेला ( आर.ए.एस. )

1. सीताराम पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी नवाडिया मीना तहसील बरनाला
2. हनुमान पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी नवाडिया मीना तहसील बरनाला

प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बरनाला
2. रचना पत्नि हेमराज जाति मीना निवासी नवाडिया मीना तहसील बरनाला

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.एक्ट**

मुकदमा न. :– 29/25 आदेश जारी दिनांकः–21.8.2025

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी :–वकील प्रार्थी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एवं वकील अप्रार्थी न. 2 श्री ज[illegible]दीश प्रसाद शर्मा मिनजानिब मुददई व मिनजानिब [illegible] पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.09.12 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

प्रार्थी न. 1 व 2 एवं अप्रार्थी न. 2 की और से लोक अदालत की भावना से हुये राजीनामा के अनुसार एवं इस न्यायालय द्वारा तस्दीक राजीनामा के मुताबिक अप्रार्थी न. 1 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नवाडिया मीना तहसील बरनाला मे स्थित अप्रार्थी न. 2 की खातेदारी भूमि आराजी ख.न. 582 रकवा 0.51 हेक्टर मे दर्शित संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार 10 फिट चौडाई 155 फिट लम्बाई का राजस्व रिकार्ड मे रास्ता का अंकन किया जावे । तथा उक्त रास्ते के काम आने वाली भूमि अप्रार्थी न. 2 की खातेदारी भूमि मे से कम किया जावे । बैक का रहन अप्रार्थी न. 2 की शेष भूमि पर यथावत रहेगा । पालना हेतु तहसीलदार बरनाला को तहरीर जारी की जावे ।

यह आदेश आज दिनांक 21.8.2025 को जारी किया गया ।

( प्रियका कडेला )
उपखंड अधिकारी
बामनवास

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.09.12 16:42:41 IST
Reason: SelfAttested